:: न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0, ग्वालियर ::

समक्ष

डॉ0 एम0के0अग्रवाल

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी/3600/तीन/2013–विरूद्ध आदेश दिनांक 08–08–2013 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी,चन्देरी–प्रकरण क्रमांक 17/2012–13/अपील।

1. महाराज पुत्र प्रीतम लोधी।
2. विक्रम सिंह पुत्र पीतम लोधी।
3. मुकेश पुत्र पीतम लोधी।
4. सुरेश पुत्र पीतम लोधी।
5. गोविन्द दास पुत्र जालम लोधी।

समस्त निवासीगण ग्राम बडैरा,तहसील चन्देरी जिला अशोकनगर, म0प्र0। ———आवेदकगण

विरूद्ध

1. भगवानदास पुत्र भूपत लोधी,निवासी ग्राम बडैरा,तहसील चन्देरी,जिला अशोकनगर,म0प्र0।
2. म0प्र0शासन द्वारा पटवारी ग्राम बडैरा,जिला अशोकनगर,म0प्र0। ———अनावेदकगण

1. श्री एस0पी0धाकड, अभिभाषक————————————आवेदक के लिये।
2. श्री प्रदीप श्रीवास्तव, अभिभाषक————————————अनावेदक के लिये।

(आज दिनांक 18/5/10 को पारित)

यह निगरानी मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी,चन्देरी जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 14/2012–13/अपील माल में पारित आदेश दिनांक 08.08.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक क्र–1 के द्वारा तहसीलदार चन्देरी के समक्ष संहिता की धारा 116, 89 (1) के अनंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र पेश किया गया कि भूमि सर्वे क्रमांक 239/19/4 ज रकवा 2.000 है0 ग्राम बडैरा में अनावेदक क्र–1 के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि स्थित है। प्रश्नाधीन भूमि का पटटा अनावेदक को प्रकरण क्रमांक 46/अ–19/93–94 से प्रदान किया गया था। अनावेदक प्रश्नाधीन भूमि पर 30 वर्षो से अधिक समय से काविज होकर काश्त करता आ रहा है। आवेदकगणों के द्वारा पटवारी मौजा से मिलकर अनावेदक की भूमि पर अपना सर्वे क्रमांक 239/8/2 रकवा 0.836 है0

अवैधानिक रूप से बनवा लिया है जबकि शासकीय अक्श में आवेदकगणों का सर्वे नम्वर नही बना था। ऐसी स्थिति में मौके की स्थिति एवं कब्जा अनुसार अनावेदक क्र–1 का सर्वे क्रमांक 239/19/4 ज रकवा 2.000 है0 शासकीय मानचित्र में बनाये जाने का आदेश प्रदान किया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 03/अ–5/2011–12 पर पंजीवद्ध करते हुये आदेश दिनांक 20.03.2013 को प्रकरण अंतरिम स्थिति में प्रचलन योग्य न होना मानकर निरस्त किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.03.2013 से परिवेदित होकर अनावेदक क्र–1 के द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी,चन्देरी के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी जो प्रकरण क्रमांक 17/20125–13/अपील माल पर दर्ज की गयी। प्रकरण प्रचलन के दौरान आवेदकगणों के द्वारा एक आवेदन पत्र पेश करते हुये प्रस्तुत अपील को प्रचलन योग्य न होने के कारण इसी स्तर पर निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया। अनुविभागीय अधिकारी,चन्देरी द्वारा आदेश दिनांक 08.08.2013 से प्रकरण प्रचलन योग्य होना माना और प्रकरण तर्क हेतु नियत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी, चन्देरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.08. 2013 से व्यथित होकर आवेदकगणों के द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख आहूत किया जाकर उभयपक्षकारों के विद्वान अभिभाषकगणों के तर्क सुने गये।

4. आवेदकगणों के विद्धान अभिभाषक ने अपने तर्क प्रायः उन्हीं बिन्दुओं के आधार पर प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका उल्लेख निगरानी मेमो में किया गया है। इसके अलावा मौखिक रूप से यह तर्क भी प्रस्तुत किये गये है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश अंतरिम स्वरूप का था न कि अंतिम आदेश। अंतरिम स्वरूप के आदेश के विरूद्ध अपील का कोई प्रावधान नही है। यही तथ्य अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया था कि प्रस्तुत अपील प्रचलन योग्य नहीं है। अतः इसी स्तर पर निरस्त की जावे किन्तु अनुविभागीय अधिकारी,चन्देरी द्वारा अपील को प्रचलन योग्य होना स्वीकार किया गया, जो विधिसम्मत न होने से निरस्त किया जाकर प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जावे।

5. अनावेदक क्र–1 के विद्धान अभिभाषक ने अपने तर्को में मुख्य रूप से यह तर्क पेश किये गये है कि विचारण न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही को अन्य सक्षम न्यायालय में अंतरित किये जाने बावत संहिता की धारा 30 के अंतर्गत आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पेश किया गया था, जिसकी जानकारी विचारण न्यायालय को भी हो चुकी थी। विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 20.03.2013 में इसका उल्लेख भी किया गया तथा प्रकरण दिनांक 28.03.2013 के लिये नियत कर दिया गया। उसके बाद विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 20.03.2013 को ही प्रकरण में आदेश पारित कर दिया गया। इन सब तथ्यों पर विचार करने के बाद ही अनुविभागीय अधिकारी,चन्देरी द्वारा प्रकरण में

दिनांक 08.08.2013 को आवेदकगणों के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र कि प्रस्तुत अपील प्रचलन योग्य नहीं है, को नकारते हुये अपील प्रचलन योग्य मानी गयी। अनावेदक के विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्क यह भी बताया है कि प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी,चन्देरी द्वारा आदेश दिनांक 24.10.2013 को अंतिम आदेश पारित किया जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.03.2013 को निरस्त कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत निगरानी स्वतः ही प्रभाव हीन हो चुकी है। अतः निरस्त की जावे।

6. मैनें प्रकरण में उभयपक्षकारों के विद्वान अभिभाषकगणों के द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों पर मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त प्रकरण पत्रिकाओं का परिशीलन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रचलित प्रकरण को अन्य किसी सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित कराने हेतु अनावेदक क्र–1 के द्वारा संहिता की धारा 30 के अंतर्गत आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी,चन्देरी के समक्ष पेश किया गया था, जिसका उल्लेख विचारण न्यायालय की प्रकरण पत्रिका में आदेश दिनांक20.03.2013 में किया गया है और प्रकरण दिनांक 28.03.2013 के लिये नियत किया गया था। विचारण न्यायालय को सर्वप्रथम अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबंध में ही निर्णय लेना चाहिये था, किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 28.03.2013 के पूर्व ही दिनांक 20.03.2013 को बिना अनावेदक को सुने तथा सुनवाई का अवसर दिये ही प्रकरण में अंतरिम आदेश पारित किया जाकर प्रकरण प्रचलन योग्य न होना मानकर समाप्त कर दिया गया। इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी,चन्देरी द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट विवेचना की जा चुकी है । इसके अलावा अनावेदक के विद्वान अभिभाषक के इस तर्क को भी बल प्राप्त है कि आवेदकगणों के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी,चन्देरी द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 08.08.2013 के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी पेश की गयी है। चूंकि अनुविभागीय अधिकारी,चन्देरी द्वारा प्रकरण में दिनांक 24.10.2013 को अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है। अंतिम आदेश हो जाने के बाद अब इस निगरानी का कोई औचित्य नही रह जाता है। प्रस्तुत निगरानी स्वतः ही आधारहीन हो जाने के कारण इसी स्तर पर निरस्त की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति के साथ वापिस किया जावे तथा प्रकरण अंक से कम किया जाकर दाखिल रिकार्ड किया जावे।

(डॉ0 एम0के0अग्रवाल)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर